राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर
(जी.3, राजमहल रेजीडेंसी ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, सी–स्कीम जयपुर–302005)
टेलीफैक्स 0141–2222403, ईमेल–stp.lsg@rajasthan.gov.inवेब साईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक : F.59 STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/20/843 दिनांक :– 31.05.2021

आदेश

कोविड–19 के मध्यनजर आम जन को राहत पहुँचाने के उद्देश्य से नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी गये आदेशों की निरन्तरता में सक्षम स्तर से लिए गए निर्णयानुसार राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अन्तर्गत आवंटित भूखण्ड एवं उक्त नियमों के नियम 32 के अन्तर्गत एवं राजस्थान नगरीय नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 एवं भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क एवं 90–ख के अन्तर्गत निम्न प्रकार की छूट प्रदान/अवधि विस्तार की जाती है:–

1. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 01 मई, 2020 व 28 जुलाई, 2020 की निरन्तरता में भवन निर्माण स्वीकृति, पट्टा/लीज डीड जारी करना, नाम हस्तान्तरण, उप–विभाजन/पुर्नगठन, भू–उपयोग परिवर्तन आदि (निलामी के प्रकरणों को छोडकर) हेतु जारी किये गये मांग पत्र के अनुसार राशि जमा कराने की समय–सीमा 15 मार्च, 2020 के पश्चात की है, उन प्रकरणों में 31 जुलाई, 2021 तक राशि जमा कराने की छूट प्रदान की जाती है।
2. नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 15 मई 2020 द्वारा पट्टा/लीजडीड, भू–उपयोग परिवर्तन आदेश एवं भवन निर्माण अनुज्ञा में निर्धारित की गई भवन निर्माण की समयावधि को 6 माह तक बढाया गया था। उक्त आदेशों की निरन्तरता में दिनांक 31 दिसम्बर 2019 के पश्चात समयावधि समाप्त होने वाले प्रकरणों में भवन निर्माण की अवधि एक वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष 6 माह तक बढायी जाती है।
3. आदेश क्रमांक प.3(212)नविवि/3/2011 दिनांक 01 मई, 2020 के द्वारा राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के अंतर्गत पट्टा अभिलेख जारी होने की दिनांक से निर्माण की निर्धारित अवधि अथवा उक्त निर्माण अवधि विस्तार 31 दिसम्बर, 2019 तक समाप्त हो गई है एवं राजस्थान नगर पालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के अंतर्गत आवंटन के प्रकरणों में भवन निर्माण की निर्धारित अवधि में नहीं करने से आवंटन निरस्त हो गया है। ऐसे प्रकरणों में राशि जमा कराने की गणना दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक कर, निर्माण अवधि 31 दिसम्बर, 2020 तक बढाने साथ ही भवन निर्माण स्वीकृति के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुज्ञा स्वतः ही दिनांक 31 दिसम्बर, 2020 तक बढी हुई माने जाने के आदेश जारी किये गये थे, नगरीय विकास विभाग के ओदश क्रमांक प.3(1201)नविवि/3/2012 पार्ट दिनांक 01 मई 2020 जारी किया गया था, उक्त आदेशों की निरन्तरता में निर्माण अवधि विस्तार 31 जुलाई 2021 तक बढाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। निर्माण अनुज्ञा अवधि स्वतः ही 31 जुलाई 2021 तक बढी हुई मानी जावें।

उक्त आदेश तुरन्त प्रवृत्त होंगे, किन्तु पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नंदी)
निदेशक एव विशिष्ठ सचिव

क्रमांक : F.59 STP/DLB/सामान्य आदेश (862)/20/844-61 दिनांक :– 31.05.2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थः–

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।

3. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज)/जोधपुर (उत्तर/दक्षिण)/कोटा (उत्तर/दक्षिण)/अजमेर/उदयपुर/भरतपुर।
5. उपनिदेशक क्षैत्रीय, स्थानीय निकाय विभाग जयपुर /जोधपुर /कोटा/अजमेर /उदयपुर/ भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्र के अधीन समस्त नगरीय निकायों को सूचित करे।
6. आयुक्त, अधिशाषी अधिकारी, नगर परिषद/नगर पालिका समस्त।
7. CMAR को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को CMAR की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. System Analyst cum Joint Director. DLB को प्रति प्रेषित कर लेख है, कि आदेश को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।

31/05/21

उप नगर नियोजक
(राजेश कुमार
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग
अति. मुख्य नगर नियोजक
राजस्थान सरकार, जयपुर